बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–रा0कू0(मुद्रण)–01/16(खंड) 3915 खाद्य,पटना/दिनांक 30.06.16

प्रेषक,

प्रकाश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– माह जुलाई, 2016 से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण राशन कार्ड के माध्यम से कराने के संबंध में ।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 7105 दिनांक 30.09.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण माह सितम्बर, 2015 से जून, 2016 तक राशन एवं किरासन कूपन के आधार पर कराने हेतु निदेश दिया गया था। विदित हो कि लाभुकों को माह जुलाई, 2015 से जून, 2016 तक का राशन एवं किरासन कूपन उपलब्ध कराया गया था । वित्तीय वर्ष 2016–17 में माह जुलाई, 2016 जून, 17 तक के राशन एवं किरासन कूपन के मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु निविदा प्रकाशित की गई थी जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC - 6390/2016 याचिका दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दायर याचिका में दिनांक 12.04.2016 को पारित आदेश के द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने पर रोक लगा दिया गया है । पुनः दिनांक 27.06.2016 को उक्त याचिका में सुनवाई की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC - 6390/2016 को रद्द कर दिया गया है तथा आदेश के बेवसाईट पर अपलोड किये जाने के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है ।

अतः जबतक राशन एवं किरासन कूपन की छपाई नहीं हो जाती है तथा लाभुकों को राशन एवं किरासन कूपन उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है, तबतक माह जुलाई, 2016 से अगले आदेश तक लाभुकों को खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण निम्न प्रकार कराना सुनिश्चित किया जाय :–

1. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को पूर्विकताप्राप्त, अन्त्योदय एवं किरासन तेल लाभुकों की सूची अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। लाभुकों की सूची पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा ।
2. जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लाभुकों की सूची के अनुसार खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण लाभुकों के राशन कार्ड के आधार पर किया जाय तथा की गई वितरण की प्रविष्टी उनके राशन कार्ड में भी की जायेगी ।
3. जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा राशन कार्ड के आधार पर किये गये वितरण को खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण पंजी में संधारित की जायेगी ।

D:\...\YEAR-2015\...\SEC-4\...\Coupon.doc

4. जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा वितरित की गई खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण पंजी का दो प्रति में छायाप्रति कराकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी ।
5. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण पंजी का प्राप्त दो प्रति में से एक प्रति को वितरण के संबंध में प्रमाणित करते हुए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे ।
6. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से प्राप्त खाद्यान्न एवं किरासन तेल के वितरण पंजी की छायाप्रति के आधार पर अगले माह उपावंटन किया जाएगा।
7. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खाद्यान्न एवं किरासन तेल के वितरण के आधार पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में संधारित कर अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजेंगे ।

अतः अनुरोध है कि खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण उपरोक्त के अनुसार कराना सुनिश्चित किया जाय तथा की गई कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–रा0कू0(मुद्रण)–01/16(खंड) 3915 खाद्य,पटना/दिनांक 30.06.16

प्रतिलिपि – अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना एवं सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–रा0कू0(मुद्रण)–01/16(खंड) 3915 खाद्य,पटना/दिनांक 30.06.16

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\//YEAR-2015\//SEC-06-//\Coupon.doc